कवर्धा, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र./उपंक/परि./2012/623.— गोपाल मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, बहेराखार, पंजीयन क्रमांक 181, विकासखंड बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 421 दिनांक 17-07-2012 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गोपाल मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, बहेराखार, पंजीयन क्रमांक 181 को इस आदेश के दिनांक 21-09-12 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री प्रकाशचन्द देवांगन, पद सहकारिता निरीक्षक को गोपाल मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, बहेराखार, पंजीयन क्र. 181 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 21-09-12 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र./उपंक/परि./2012/624.— श्रीराम आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, लालपुर खुर्द, पंजीयन क्रमांक 3682, विकासखंड पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 420 दिनांक 17-07-2012 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीराम आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, लालपुर खुर्द, पंजीयन क्रमांक 3682 को इस आदेश के दिनांक 21-09-12 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. एस. नायक पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को श्रीराम आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, लालपुर खुर्द, पंजीयन क्र. 3682 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 21-09-12 को जारी किया गया है.

एम. के. ध्रुव,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.